नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881

(1881 का अधिनियम संख्यांक 16)[1]

[15 मार्च, 1881]

नाव्य जलपथों में बाधाओं को हटाने या नष्ट करने और ऐसी बाधाएं पैदा न होने देने के लिए सरकार को सशक्त करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—[2][उन राज्यक्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] पत्तनों को जाने वाले नाव्य जलपथों में नौपरिवहन की बाधाओं को हटाने या नष्ट करने और ऐसी बाधाएं पैदा न होने देने के लिए सरकार को सशक्त करना समीचीन है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नाव्य जलपथ बाधा अधिनियम, 1881 है[3] ।

किन्तु इसकी कोई बात ऐसे जलयानों को लागू नहीं होगी, [4][जो सरकार के हैं या सरकार की ओर से संविदा करके भाड़े पर लिए गए हैं] ।

2. नाव्य जलपथ में बाधा हटाने या नष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करना—जब कभी [2][उन राज्यक्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में कोई जलयान डूबा हुआ, उत्कूलित या परित्यक्त पड़ा है, अथवा कोई मत्स्य-उपकरण, काष्ठ, या अन्य कोई चीज रखी या छोड़ी हुई है तब, यदि [5][केन्द्रीय सरकार] की यह राय है कि ऐसी चीज नौपरिवहन के लिए बाधा या खतरा है या हो सकती है तो वह—

(क) ऐसी चीज या उसके किसी भाग को हटवा सकेगी, अथवा

(ख) यदि ऐसी चीज इस प्रकार की है या इस प्रकार स्थित है कि [6][केन्द्रीय सरकार की राय में] वह हटाने योग्य नहीं है, तो उसे या उसके किसी भाग को नष्ट करा सकेगी ।

3. बाधा हटाने में हुए व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार का हकदार होना—जब कभी कोई चीज धारा 2 के अधीन हटाई जाती है, तब [7][केन्द्रीय सरकार,] ऐसे हटाने में हुए व्यय के लिए मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक समुचित धनराशि प्राप्त करने की हकदार होगी ।

ऐसे व्यय के बारे में विवाद—इस प्रकार हटाई गई किसी चीज के संबंध में इस धारा के अधीन देय रकम के बारे में उठने वाला कोई विवाद, उस स्थान पर जहां ऐसी चीज है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा, विवाद के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उस प्रयोजन के लिए उसे आवेदन किए जाने पर, विनिश्चित किया जाएगा ; और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा ।

4. हटाने की सूचना का केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाना—जब कभी धारा 2 के अधीन कोई चीज हटाई जाती है तब, [8][केन्द्रीय सरकार] राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी जिसमें उस चीज का वर्णन होगा और वह समय और स्थान दिया होगा जब और जिससे उसे इस प्रकार हटाया गया था ।

5. हटाई गई चीजों का कुछ परिस्थितियों में विक्रय किया जा सकना—यदि ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् ऐसी चीज के बारे में कोई दावा नहीं किया जाता है, अथवा

यदि उसके लिए दावा करने वाला व्यक्ति उक्त व्यय के लिए देय रकम का तथा सीमाशुल्क अथवा उसके संबंध में [8][केन्द्रीय सरकार] द्वारा उचित रूप में उपगत अन्य प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है ।

---

[1] इस अधिनियम का, 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा, उपान्तरणों सहित, गोवा, दमण और दीव पर और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और यह तुरन्त प्रवृत्त होगा" शब्द निरसित किए गए ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "हर मैजेस्टी के हैं अथवा हर मैजेस्टी या सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कौंसिल द्वारा भाड़े पर लिए गए हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश भारत के ऐसे भाग की स्थानीय सरकार, जिसमें ऐसा पत्तन स्थित है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार की राय में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

तो [1][केन्द्रीय सरकार] उस चीज को, यदि वह विनश्वर प्रकृति की है तो तुरन्त, और यदि वह विनश्वर प्रकृति की नहीं है, तो अधिसूचना के यथापूर्वोक्त प्रकाशन के पश्चात् छह मास से अन्यून किसी समय, सार्वजनिक नीलाम द्वारा विक्रय कर सकेगी ।

6. विक्रय-धन का उपयोजन कैसे किया जाएगा—ऐसे विक्रय से धन प्राप्त हो जाने पर, यथापूर्वोक्त किए गए व्यय और प्रभारों के लिए देय रकम को, विक्रय सम्बन्धी व्यय सहित, उसमें से काट लिया जाएगा और अधिशेष (यदि कोई हो) विक्रीत चीज के स्वामी को दे दिया जाएगा, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न हो और ऐसे अधिशेष के लिए दावा न करे, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को, बिना ब्याज के, देने के लिए जमा रखा जाएगा जो तत्पश्चात् उसके लिए अपना अधिकार सिद्ध करे :

परन्तु यह तभी होगा जब ऐसा व्यक्ति विक्रय की तारीख से एक वर्ष के अन्दर दावा करे ।

7. जलयान के अन्तर्गत टैकल, नौभार आदि का होना—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "जलयान" शब्द के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसी वस्तु, या चीज, या चीजों का संग्रह भी है, जो किसी जलयान के टैकल, उपस्कर, नौभार, स्टोर या रोड़ी-पत्थर का भाग है या उसका भागरूप है, और जलयान और उसके नौभार को अथवा उससे प्राप्त किसी अन्य सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाले धन को सामान्य निधि समझा जाएगा ।

8. नाव्य जलपथों में बाधाओं को रखने को विनियमित करने और प्रतिषिद्ध करने के नियम बनाने की शक्ति—[2][(1)] केन्द्रीय सरकार [3][उन राज्यक्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में मत्स्ययन-उपकरण रखने, रोड़ी-पत्थर, कचरा या कोई ऐसी अन्य चीज फेंकने या गिराने, जिससे कि ढाल या जल-बालू उत्थान पैदा हो सकता है, अथवा कोई ऐसा अन्य कार्य करने को, जिससे कि, उसकी राय में नौपरिवहन को बाधा या खतरा पैदा होगा या हो सकता है, विनियमित या प्रतिषिद्ध करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर बना सकेगी ।

[4][(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

9. ऐसे नियमों को भंग करने के लिए शास्ति—जो कोई धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी कार्य या लोप का दोषी होगा उसका विचारण ऐसे अपराध के लिए ऐसे जिले या प्रेसिडेंसी नगर में किया जा सकेगा जिसमें वह पाया जाता है, और वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

10. इस अधिनियम के अधीन हुए नुकसान के लिए कुछ मामलों में प्रतिकर का संदेय होना—जब कभी किसी नाव्य जलपथ में किसी बाधा का बनाए रखना या पैदा करना, उसके दीर्घ काल तक उपयोग में रहने के कारण, या अन्यथा, विधिपूर्ण हो गया है, और ऐसी बाधा धारा 2 के अधीन हटा दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, अथवा उसका पैदा किया जाना धारा 8 के अधीन विनियमित या प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति, जिसे उस बाधा को बनाए रखने या पैदा करने का अधिकार है, उसके इस प्रकार हटाए जाने, नष्ट, विनियमित या प्रतिषिद्ध किए जाने से उसे हुई किसी हानि के लिए, [5][केन्द्रीय सरकार] से समुचित प्रतिकर पाने का हकदार होगा ।

ऐसे प्रतिकर के अधिकार या उसकी रकम के सम्बन्ध में उठने वाला प्रत्येक विवाद ऐसी विधि के अनुसार अवधारित किया जाएगा, जो लोक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित भूमि[6] के मामले में उसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त है, न कि अन्यथा; और ऐसी विधि के प्रयोजनों के लिए उस नाव्य जलपथ को, जिससे या जिसमें ऐसी बाधा हटाई या नष्ट की गई थी अथवा जिसमें उसका पैदा किया जाना विनियमित या प्रतिषिद्ध किया गया था, उस प्रेसिडेंसी नगर या जिले का भाग समझा जाएगा जिसमें वह पत्तन स्थित है जिसको ऐसा नाव्य जलपथ जाता है ।

11. इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व सरकार की कतिपय कार्रवाई का इसके अधीन किया गया समझा जाना—जब कभी [3][उन राज्यक्षेत्रों में, जो 1 नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों में समाविष्ट थे,] किसी पत्तन को जाने वाले किसी नाव्य जलपथ में इस अधिनियम के पारित किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेश से, कोई बाधा

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा पुन:संख्यांकित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] देखिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) ।

हटाई गई है या नष्ट की गई है अथवा जब कभी किसी ऐसी बाधा का पैदा किया जाना विनियमित या प्रतिषिद्ध किया गया है, तब ऐसा हटाया जाना, नष्ट किया जाना, विनियमन या प्रतिषेध इस अधिनियम के अधीन किया गया समझा जाएगा ।

12. केन्द्रीय सरकार को प्राप्त अन्य शक्तियों की व्यावृत्ति—इसमें की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह [1][केन्द्रीय सरकार] को किन्हीं ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने से रोकती है जो उसे इस निमित्त प्राप्त है ।

[2][**13. अन्तर्देशीय जलमार्गों में नाव्य जलपथों को लागू होना**—इस अधिनियम में केन्द्रीय सरकार के प्रति सभी निर्देशों का अन्तर्देशीय जलमार्गों में नाव्य जलपथों के सम्बन्ध में यह अर्थ किया जाएगा कि वे [3][राज्य सरकार] के प्रति निर्देश हैं ।]

———

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य की सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।